

प्रेषक:

किशन सिंह अटोरिया,

प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,

गृह विभाग,

उपरो शासन।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 13 जून, 2014

विषय- वित्तीय वर्ष 2014-15 में दैवी आपदा राहत कार्यो हेतु विभिन्न अग्निशमन उपकरणों/वाहनों/संयंत्रों एवं मशीनों के क्रय हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंदन।  
महोदय,

उपर्युक्त विषय पर गृह (पुलिस) अनुभाग-2 के अर्द्धशाओपत्र संख्या-908/छ:-पु-2-2014-1100(08)/13, दिनांक 29.04.2013 द्वारा किए गए अनुरोध के क्रम में मुझे यह अवगत कराने का निर्देश हुआ है कि दैवी आपदाओं पर प्रभावी नियंत्रण हेतु द्वारा राज्य आपदा मोचक निधि से वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 में कुल धनराशि रु0 9,87,58,059/- (रुपये नौ करोड़ सत्तासी लाख अठ्ठावन हजार उनसठ मात्र) निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्नानुसार आपके निवेदन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहपं स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

| विभाग       | मद                                                                                                                                                             | वित्तीय वर्ष<br>2013-14 में<br>दी गयी<br>धनराशि<br>(रुपये में) | वित्तीय वर्ष<br>2013-14 में<br>समर्पित<br>धनराशि<br>(रुपये में) | वित्तीय वर्ष<br>2014-15 में मार्गी<br>जा रही धनराशि<br>(रुपये में) |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| पीओसीओ      | एल्युमिनियम मोटर बोट एवं स्टील मोटर बोट हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 के दैवी आपदा कार्यो के संचालन के लिए मोटर बोट हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 में अतिरिक्त धनावंदन | 4,88,00,000                                                    | 4,50,46,640                                                     | 4,50,46,640                                                        |
|             | मोटर बोट की मरम्मत एवं संचालन कार्य हेतु                                                                                                                       | 22,00,000                                                      | —                                                               | 44,00,000                                                          |
|             | आपदा राहत कार्यो हेतु लाइफिंग सिस्टम/सर्वर एप्ल/डा बैक एवं स्टूचर आदि उपकरणों का क्रय हेतु                                                                     | 49,00,743                                                      | 15,08,013                                                       | 15,08,013                                                          |
|             | योग                                                                                                                                                            | 6,86,55,943                                                    | 4,65,54,653                                                     | 5,09,54,653                                                        |
| फायर सर्विस | प्रदेश की 26 तहसीलों को अग्निशमन व्यवस्था से सुदृढीकरण हेतु उपकरणों, वाहनों एवं तंत्रों के क्रय हेतु                                                           | 4,80,00,000                                                    | 2,63,95,460                                                     | 2,37,44,809                                                        |
|             | विभिन्न अग्निशमन उपकरणों/वाहनों/संयंत्रों एवं                                                                                                                  | 7,64,50,422                                                    | 2,98,38,216                                                     | 2,41,33,720                                                        |

|         |              |             |             |
|---------|--------------|-------------|-------------|
| योग     | 12,45,77,432 | 5,33,23,673 | 4,78,03,406 |
| कुल योग | 19,32,34,375 | 9,98,78,326 | 9,87,58,059 |

- 2- उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजन-05-स्टेट डिजास्टर रैस्पास फण्ड-800-अन्य व्यय-03-स्टेट डिजास्टर रैस्पास फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के तामे डाला जायेगा।
- 3- शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि से यदि कोई वचन सम्भावित हो तो उन्हें वित्तीय वर्ष के समापन के पूर्व नियमानुसार समर्पित कर दी जाये।
- 4- राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का उपयोग केवल उल्लिखित कार्य हेतु ही किया जाये। किसी अन्य विभागीय कार्य हेतु इस धनराशि का प्रयोग कदापि न किया जाये। वित्तीय हस्तपुस्तिका/वित्तीय नियमों का अनुपालन किया जायेगा। प्रमुख सचिव गृह विभाग, 30प्र0 शासन यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उपरोक्त कार्य विशेष के लिए किसी अन्य योजना अथवा निधि से धनराशि सम्बन्धित विभाग को प्राप्त न हुई हो।
- 5- व्यय की गयी धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मर्दों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

भवदीय,

(किशन सिंह अठोरिया)

प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या-444 (1)/1-10-2014, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार-प्रथम/आडिट प्रथम, 30प्र0 इलाहाबाद।
- 2- अपर पुलिस महानिदेशक, 30प्र0 फायर सर्विस इन्दिरा भवन, लखनऊ।
- 3- पुलिस महानिरीक्षक, पी०ए०सी० मुख्यालय, 30प्र0 लखनऊ।
- 4- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, 30प्र0 लखनऊ।
- 5- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन०आइ०सी० योजना भवन, लखनऊ की राहत की वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर अपलोड किये जाने हेतु।
- 6- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, 30प्र0।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन, लखनऊ।
- 8- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5/गृह (पुलिस) अनुभाग-2।
- 9- समीक्षा अधिकारी (लेखा)/समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग 10/राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
- 10- राह-काहल।

आज्ञा से,

सदर सचिव।

अनु. सचिव।